राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड

1. **शिक्षाकर्मी परियोजना एक परिचयः—**

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाकर्मी परियोजना एक महत्वपूर्ण नवाचार रहा है। शिक्षा वंचित ग्रामीण नागरिकों का समाज सेवा की भावना के साथ एक अभिनव प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की शिक्षा का आधुनिक संस्कार शिक्षाकर्मी परियोजना है। यह परियोजना परिश्रमी, चिन्तक, सृजनशील, शिक्षाविदों के सहयोग से समाजिक परिवर्तन की सशक्त माध्यम के रूप में कारगर बनकर उभरी है। दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी विद्यालयों ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है।

राजस्थान के दुर्गम बीहड़ों में जहॉ पहाड़ी, मरूस्थलीय और भौगोलिक दृष्टि से विषम क्षेत्र हैं, वहॉ शिक्षाकर्मी विद्यालयों ने शिक्षा के प्रति जड़ता के भाव को तोड़ा है। शिक्षाकर्मी विद्यालयों में नामांकन, ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

राजस्थान की भौगोलिक विषम परिस्थितियों, छितरी जनसंख्या तथा ग्रामीण समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता, दूरदराज के विद्यालयों में शिक्षकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1984 में शिक्षाकर्मी परियोजना को प्रारंभ किया गया।

2. **परियोजना दर्शनः—**

शिक्षाकर्मी परियोजना यह मानकर चलती है कि ठहरावयुक्त नामांकन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए शिक्षक की योग्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शिक्षाकर्मी की कार्य के प्रति समर्पण भावना, सीखने की प्रबल इच्छा, स्थानीय होना एवं समाज सेवा की प्रबल उत्कंठा। यही कारण है कि कम योग्यता वाले युवक—युवती भी प्रभावी प्रशिक्षण एवं नियमित संबलन प्राप्त कर इस महत्वपूर्ण कार्य में सफल सिद्ध हो रहे हैं।

उद्देश्य एवं कार्यः—

- पूर्व में शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा स्थापित अथवा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विद्यालयों का संचालन।
- विद्यालय परिक्षेत्र के 6—11/14 आयु वर्ग के समस्त बालक—बालिकाओं को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना।
- बालक—बालिकाओं को कक्षा 5 व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 8 तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

शिक्षाकर्मी परियोजना का द्वितीय सहायता प्रावधानः—

शिक्षाकर्मी परियोजना 1986 में प्रारंभ होकर विभिन्न चरणों में निम्नानुसार संचालित है—

क.सं.	अवधि	वित्तीय स्रोत	अनुपात
1.	1987—98	सीडा एवं राज्य सरकार	90:10 एवं 50:50
2.	1999 से जून, 03	डी.एफ.आई.डी. एवं राज्य सरकार	50:50
3.	जुलाई, 03 से जून, 05	डी.एफ.आई.डी. एवं राज्य सरकार	75:25
4.	जुलाई, 05 से अनवरत	राज्य सरकार	गैर आयोजना मद से

			शत प्रतिशत

शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कार्यरत शिक्षाकर्मियों का विवरणः—

क.सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	3576
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	72
3.	सामान्य शिक्षाकर्मी	4100
4.	वरिष्ठ शिक्षाकर्मी	4061

शिक्षाकर्मी बोर्ड की संगठनात्मक संरचनाः—

अ. शाषी परिषद् की संरचनाः—

1.	शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3.	शासन सचिव, वित्त (व्यय)	सदस्य
4.	शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा	सदस्य
5.	निदेशक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य
6.	निदेशक/आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य
7.	निदेशक/आयुक्त, डी.पी.ई.पी.	सदस्य
8.	निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर	सदस्य
9.	निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी.,उदयपुर	सदस्य
10.	सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड	सदस्य
11.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य अ. 2 महिला प्रतिनिधि ब. 2 शिक्षाविद् स. 2 शिक्षक प्रतिनिधि द. एक जन प्रतिनिधि	सदस्य

शाषी परिषद् के कार्यः—

1. नीतियॉ बनाना।
2. योजना एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यों का अनुमोदन करना।
3. योजना के क्रियान्वयन हेतु निष्पादक परिषद् या अन्य किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत करना।
4. नियम, उप नियम (यदि कोई हो) का अनुमोदन करना।

ब. निष्पादक परिषद् की संरचनाः—

1.	शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3.	उप शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
4.	उप शासन सचिव (आयोजना), राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	निदेशक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य

6.	निदेशक/आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर	सदस्य
7.	निदेशक/आयुक्त, डी.पी.ई.पी.	सदस्य
8.	निदेशक, महिला बाल विकास, जयपुर	सदस्य
9.	निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर	सदस्य
10.	निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी.,उदयपुर	सदस्य
11.	सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड	सदस्य

निष्पादक परिषद् के कार्यः—

1. योजना की क्रियान्विति हेतु पदों का सृजन एवं नियुक्ति का प्रक्रिया निर्धारण करना।
2. विभिन्न स्तरों पर योजना की क्रियान्विति करना।
3. क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना।
4. चल/अचल सम्पत्तियों की देखरेख व निष्पादन हेतु व्यवस्था करना।
5. किसी भी स्वयंसेवी संस्था /व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर सेवाएँ लेना।
6. कार्य संचालन हेतु नियम /उप नियम /निर्देशों का अनुमोदनाकरना।
7. सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन /अन्य सूचनाओं पर चर्चा कर अनुमोदन करना /निर्णय करना।
8. योजना गतिविधियों हेतु बजट का अनुमोदन करना।
9. शाषी परिषद् द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य।

सचिव एवं इनकी शक्तियाँः—

राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के सचिव पद पर राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा को सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड का दायित्व आवंटित किया हुआ है।

सचिव की शक्तियाँ /अधिकार

1. निष्पाद्क परिषद् /शाषी परिषद् के दिशा निर्देशों के अनुसार बैठकों का आयोजना करेंगे तथा बैठक का एजेण्डा, कार्यवाही विवरण संबंधित को भिजवाएंगे।
2. बैठकों में हुए निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।
3. सचिव अपने अधीनस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों का निष्पादक परिषद् के निर्देशों के अनुसार पदस्थापन कर सकेंगे।
4. समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों के कार्य विभाजन का निर्धारण करेंगे।
5. शाषी परिषद् /निष्पादक परिषद् द्वारा बनाए गए किसी भी नियम /उप निदयम /निर्देशों का पालना करवाएंगे।
6. आवश्यकतानुसार किसी भी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ हस्तान्तरित कर सकेंगे।
7. किसी भी प्रकार के अनुबन्ध हेतु अधिकृत होंगे।

8. वे योजना की सम्पूर्ण सम्पत्ति /परिसम्पत्ति/चल/अचल सम्पत्ति के प्रमुख अधिकारी होंगे।
9. सचिव, प्रमुख आहरण वितरण अधिकारी होंगे। ये विभागाध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे तथा अपने सहयोग के लिए अपने अधीन अधिकारियों को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकेंगे।

3. नव गठित राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही:–

- बाह्य वित्तीय संसाधनों यथा सीडा, डी.एफ.आई.डी., केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों से संचालित शिक्षाकर्मी परियोजना बाह्य सहायता नहीं मिल पाने के कारण 30 जून, 2005 को समाप्त हो चुकी है। इस के साथ ही पूर्ववर्ती शिक्षाकर्मी बोर्ड को भी भंग किया जा चुका है।
- पुनः शिक्षाकर्मी बोर्ड का गठन किया जाकर नवगठित शिक्षाकर्मी बोर्ड का पंजीयन क्रमांक 331 जयपुर /2005–06 दिनांक 29.9.05 के द्वारा करवाया जा चुका है।
- नवगठित राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड का संचालन दिनांक 1.7.05 से राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रदत्त अंशदान (गैर आयोजना मद) से किया जा रहा है। बोर्ड की प्रथम निष्पादक परिषद् की बैठक दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 में यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना की गतिविधियों का संचालन विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों का अंग माना जावेगा।

राज्य सरकार ने परियोजना का दायित्व वहन करने की दृष्टि से वर्ष 2006–07 में 5740.00 लाख रू का प्रावधान किया था जिसके विरूद्ध 5681.35 लाख रू का व्यय हुआ। वर्ष 2007–08 में इस प्रयोजनार्थ 5743.75 लाख रू का प्रावधान आयोजना भिन्न मद में किया गया है।

4. संगठनात्मक ढांचा :–

परियोजना के संचालन हेतु राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड ने विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित की है : –

अ. **राज्य स्तरः–**

राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड में विधानानुसार माननीय शिक्षामंत्री महोदय की अध्यक्षता में शाषी परिषद् एवं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा की अध्यक्षता में निष्पादक परिषद् गठित है जो नीति निर्देशों एवं कियान्वयन का दायित्व वहन करती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर शिक्षाकर्मी बोर्ड का एक कार्यालय है जिसमें शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर 6 कार्मिक एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड कार्मिक नियम 1994 के अन्तर्गत नियुक्त विभिन्न पदों पर 38 कार्मिक नियुक्त है।

ब. **जिला स्तर पर :–**

1. जिला स्तर पर शिक्षाकर्मी बोर्ड से सम्बन्धित कार्यों के दायित्वों का निर्वहन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा किया जाता है।

2. डाइट को भी शिक्षाकर्मी बोर्ड के लिए संदर्भ्य इकाई / समन्वयक इकाई का कार्य सौंपा गया है।

स. **ब्लॉक स्तर परः–**

परियोजना में 31 जिलों के 148 विकास खण्ड सम्मिलित है ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में परियोजना में कार्यरत शिक्षाकर्मी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

उ. **ग्राम स्तरः–**

वर्तमान में राज्य में 3648 शिक्षाकर्मी विद्यालयों में 8161 शिक्षाकर्मियों के पद स्वीकृत हैं, जो लगभग 2 लाख 77 हजार बालक–बालिकाओं के शिक्षण के दायित्व निर्वहन कर रहे है।

शिक्षाकर्मी बोर्ड मुख्यालय पर स्वीकृत पद निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद
1.	सचिव	1
2	उपनिदेशक	1
3	सहायक निदेशक	1
4	सहायक लेखाधिकारी	1
5	प्रशासनिक अधिकारी	1
6	सांख्यिकी सहायक	1
7	वरिष्ठ निजी सहायक	1
8	आशुलिपिक	2
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2
10	कनिष्ठ लेखाकार	2
11	वरिष्ठ लिपिक	1
12	कनिष्ठ लिपिक	10
13	महिला टॉस्क फोर्स	2
14	वाहन चालक	3
15	च0श्रे0कर्मचारी	15
	कुल योग	**44**

5. **राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के अन्तर्गत विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में गति लाने हेतु कार्य योजना :–**

- शिक्षाकर्मियों में से वरिष्ठ शिक्षाकर्मी चयनित करने के पश्चात् एक अन्य नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में शामिल करते हुए ई.पी.एफ. का लाभ दिया जाने लगा है। इसमें वरिष्ठ शिक्षाकर्मी को अपने स्वयं के 12 प्रतिशत अंशदान के साथ राज्य सरकार भी 12 प्रतिशत अंशदान जमा करा रही है।

- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(8) शिक्षा–I/प्रा.शि./2004, जयपुर, दिनांक 24.10.07 के द्वारा सामान्य शिक्षाकर्मियों को उनके मानदेय में दिनांक 1.7.2005 से

200/– रूपये वार्षिक वृद्धि किये जाने हेतु राशि तथा दिनांक 1.4.06 से 400/– की वार्षिक वृद्धि किये जाने हेतु राशि 473 लाख (चार करोड तिहत्तर लाख) की स्वीकृति जारी की गई है।

- शिक्षाकर्मियों के कल्याण हेतु शिक्षाकर्मी कल्याण कोष की स्थापना की गई है, उनके आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रितजनों को सहायता के रूप में वितरित की जा रही है। आकस्मिक निधन की स्थिति में प्रति शिक्षाकर्मी को 30000/– रूपये की राशि का भुगतान किया जाता है।
- शिक्षाकर्मी परियोजना में कार्यरत समस्त शिक्षाकर्मियों एवं बोर्ड कार्मिकों को सामुहिक दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णय लेकर 1 मई, 07 से इसे क्रियान्वित किया गया है, इसके अन्तर्गत प्रति शिक्षाकमी/बोर्ड कार्मिक को मात्र 46.71 रूपये वार्षिक अंशदान देने पर 1,00,000/–रूपये तक दुर्घटना बीमा का लाभ संबंधित जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी द्वारा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
- राज्य सरकार के स्तर पर इस विषय में भी विचार किया जा रहा है कि वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनने से वंचित रह गये शिक्षाकर्मियों को मानदण्डानुसार भविष्य में वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाकर लाभ प्रदान किया जावे।
- राज्य स्तर पर पहली बार नवाचार के रूप में माह जून, 2007 में शिक्षाकर्मियों/बोर्ड कार्मिकों के लिए अकादमिक उन्नयन हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें निबन्ध, पोस्टर, कविता/गीत एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के मॉडल बनवाये गये हैं तथा राज्य स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित कर शिक्षाकर्मियों/बोर्ड कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया।
- विगत वर्षों में वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों के लिए प्रदत्त सुविधा के अन्तर्गत ई.पी.एफ. की कटौती राज्य स्तर पर की जा रही थी। विगत 2 वर्षों से की जा रही है इससे सुदूर क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षाकर्मियों की राशि का समुचित अभिलेख संधारण कर पाने में कठिनाई हो रही थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लेकर राज्य के समस्त शिक्षाकर्मियों की ई.पी.एफ. के खाते उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थान्तरित कर दिये गये हैं। इससे विकेन्द्रीकरण के आधार पर कार्य को गति मिली है और शिक्षाकर्मियों के ई.पी.एफ. खाते सुनियोजित एवं व्यवस्थित हो सके हैं।
- शिक्षाकर्मियों के शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षाकर्मियों द्वारा 'व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम' में भाग लेने पर शिक्षाकर्मियों के मानदेय में कटौती की जा रही थी। अब इन्हें विशेष शैक्षिक अवकाश मानकर शिक्षाकर्मियों को इस अवधि का भी मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।
- सी.सी.आर.टी./एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा शिक्षाकर्मियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु सत्र 2007–08 से विशेष प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।

: – :